न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मूर्ति मंदिर ठाकुर जी राधावल्लभ जी बनाम ताराचंद कोली मु.नं.– 51/25 किस्म – T.I.	
11.7.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी सं. 02 एवं अप्रार्थी सं. 01 उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार है कि प्रार्थीगण मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान राधा वल्लभ जी महाराज मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा के भक्तगण व आस्तिक होने से अर्सों से सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं। ग्राम मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी ख. नम्बर 1453, 1454, 1455, 1456 भूमि माफी मंदिर श्री राधा वल्लभ जी विराजमान ग्राम मण्डावर की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। मंदिर की भूमि का ताराचन्द ने दीगर व्यक्तियों को बेचान किया है जो अवैध एवं विधि के प्रतिकूल है मंदिर की भूमि को बेचने का पुजारी को कोई अधिकार नहीं है तथा कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर मकान दुकान बनाकर बेचान कर रहा है। यदि मंदिर की भूमि खुर्द बुर्द हो गयी तो नाबालिग शाश्वत मूर्ति मंदिर से क्षति होगी सेवा पूजा का संकट उत्पन्न हो जायेगा। मामला अर्जेन्ट नेचर का है मौके पर निर्माण कार्य चालू होने वाले हैं। प्रा.पत्र दिनांक 31.05.2025 को गैरसायल नंबर 01 ने देवताओं से संबंधित जोत पर मकान, दुकान निर्माण करने की हैलानिया धमकी दी। जिससे सायलान/प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई इन टर्म ऑफ मनी भी संभव नहीं है। इसलिए गैरसायल अप्रार्थी सं. 01 को न्यायहित में पाबन्द किया जाना अति आवश्यक है। उक्त वर्णित विवादित आराजी	[signature]

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्साजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील के जारी हुए
	मूर्ति मंदिर ठाकुर जी राधा वल्लभ जी बनाम तारा चन्द मु.नं.- 51/25 किस्म - T.I.	
	खसरा नम्बरान जो कि ठाकुर राधा वल्लभ जी महाराज देवताओं से संबंधित में अप्रार्थी सं. 01 कोई मकान, दुकान निर्माण नहीं करे ठाकुर जी सेवा, पूजा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से जवाब प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा मूल दावा तथ्यों को तोड़मरोड़ कर एवं तथ्यों को छिपाकर, मिथ्या व मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रा. पत्र T. I. प्रस्तुत किया हुए प्रार्थी मंदिर मूर्ति के भक्तजन व आस्तिक नहीं है वरन मूर्ति मंदिर (नाबालिक) की भूमि को हड़पने के लिए मंदिर मूर्ति के भक्तजन व आस्तिक होने का कथन किया है। सायलान द्वारा मंदिर मूर्ति की जमीन को हड़पने की नियत से पूर्व में भी मुकदमें किये जा चुके है जिसमे प्रार्थी सं. 02 व 03 असफल हुए है। अप्रार्थी सं. 01 के द्वारा ही मंदिर मूर्ति की वर्षों से सेवा-पूजा की जा रही है। अप्रार्थी सं. 01 के द्वारा ना तो उक्त भूमि पर किसी प्रकार कोई दुकान का निर्माण करवाया है ना ही किसी को बेचान किया है। सिरकीधार होने के आरोप प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. की छवि धूमिल करने के लिए लगाये है। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा मंदिर मूर्ति के संरक्षक व पुजारी की हैसियत से उक्त मंदिर मूर्ति के संबंध में उत्पन्न सभी विवादों में सिविल	

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मूर्ति मंदिर ठाकुरजी राधा वल्लभ जी बनाम ताराचंद मु.नं.- 51/25 किस्म - प.ई.	

न्यायालयों, माननीय उच्च न्यायालयों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में पेश की गई है। अप्रार्थी सं.01 के द्वारा मंदिर मूर्ति भूमि की सेवा-पूजा के खर्चों के लिए केवल उक्त भूमि को फसल उगाने में काम में ली जाती है। उक्त भूमि को किसी तरह से परिवर्तित नहीं करवाया है यदि गैर सायल/अप्रार्थी सं.01 द्वारा उक्त कृषि भूमि को परिवर्तित किया तो उसकी शिकायत संबंधित सक्षम अधिकारी/निकाय के समक्ष होनी चाहिए जो प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया ना ही उक्त भूमि के परिवर्तन करवाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है। सायल सं. 02 व 03 द्वारा प्र.पत्र में गैरसायल/अप्रार्थी सं.01 को उक्त मंदिर मूर्ति श्री राधावल्लभ जी का पुजारी होना स्वीकार किया है और पुजारी होने के कारण उसको मंदिर मूर्ति की भूमि पर बाउन्ड्रीवाल, पत्थरगढी करवाकर, सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगवाये जाने का पूर्ण अधिकार है जो कि माननीय उच्च न्यायालय की सिविल रिट सं. 10651/2010 में माननीय न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर दौसा, एसडीओ महवा एवं तहसीलदार महवा को निर्देश दिये जा चुके है जिससे अनावश्यक मुकदमें बाजी ना हो और मंदिर मूर्ति भूमि पर किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं कर सके। पूर्व में मंदिर मूर्ति श्री राधा वल्लभ जी की सेवा पूजा पुजारी श्री पूरणमल द्वारा की जाती थी जिसका देहांत वर्ष 2003 में हो जाने के बाद स्व. श्री

उपखण्ड अधिकारी
(दौसा)

न्यायालय उपखण्ड आधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मूर्ति मंदिर ठाकुर जी राधा वल्लभ जी बनाम ताराचंद	
	मु.नं.- 51/25 किस्म - T. C.	

प्रकरण के पूजा अप्रार्थी सं.01 द्वारा की जाती है। अप्रार्थी सं. 01 व उसके पूर्वजों द्वारा मंदिर मूर्ति स्थापना से लगातार मंदिर मूर्ति की सेवा-पूजा की जाती रही है और मंदिर मूर्ति की अस विवादित अराजी में फसल उगाकर सेवा पूजा के खर्चों की व्यवस्था की जाती है। जिससे प्रार्थी को किसी भी तरह से अपूर्णनीय क्षति कारित होने की संभावना नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2008 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा कब्जा प्रार्थी को संभलाया गया था। प्रार्थी के हक में ना तो सुविधा का संतुलन है और ना ही प्रथम दृष्टया मामला बनता है साथ ही विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि " कब्जा नहीं तो निषेधाज्ञा नहीं ", विधि के सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने के कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानों के विरुद्ध होने तथा मिथ्या व मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने से प्रा.पत्र खारिज फरमाये जाने का श्रम करे।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस का मनन किया। प्रा.पत्र का, पत्रावली का तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जमाबंदी अनुसार विवादित आराजीयात देवताओं से संबंधित जोत ठाकुरजी राधावल्लभ जी हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रा.पत्र से संबंधित वाद स्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला—दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी बनाम तारा चंद मु.नं.— 51/25 किस्म — ए.इ.	
	कृषि भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के संबंध में RTA 1955 की धारा 188 में प्रावधान है कि कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर, के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके सहधारक या किसी अन्य के द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा। यह वादपत्र श्री खुशीराम तथा दिलराज वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि विवादित आराजी खसरा नं. 1453, 1454, 1455, 1456 वाके ग्राम मण्डावर के खातेदार अभिधारी नहीं है। इस कारण इनके द्वारा धारा 188 RTA के प्रावधानों के तहत प्रतिपक्षीगण / अप्रार्थी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाया जाना धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 प्रार्थी का भूमि अभिधारी नहीं होने तथा विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण का Locus-standi नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा इस पत्रावली में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.06.25 के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	